भीम BHIM

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः प. 1(58)नविवि/II/2001 **जयपुर, दिनांकः** 15 MAR 2022

आदेश

श्रीमती सुषमा रस्तोगी, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, नगर विकास न्यास, अलवर ने प्रार्थना पत्र दिनांक 27.12.2021 प्रस्तुत कर दिनांक 01.04.2022 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाही है। श्रीमती रस्तोगी की जन्मतिथि 22.12.1962 है। राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम,1996 के नियम 50 (1) के अन्तर्गत श्रीमती रस्तोगी ने राजकीय सेवा में 15 वर्षों की अर्हकारी सेवा पूर्ण कर ली है।

अतः राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 50 (1) के अन्तर्गत श्रीमती सुषमा रस्तोगी, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, नगर विकास न्यास, अलवर को उनके द्वारा किये गये अनुरोध के आधार पर दिनांक 01.04.2022 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की स्वीकृति एतदद्वारा प्रदान की जाती है। यह स्वीकृति किसी प्रकार का ऋण शेष नहीं होने की शर्त पर जारी की जाती है।

श्रीमती सुषमा रस्तोगी, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता के विरूद्ध वर्तमान में कोई विभागीय जांच/शिकायत/एफ.आई.आर विचाराधीन नहीं है।

आज्ञा से,

(अवधेश सिंह)
संयुक्त शासन सचिव–तृतीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, जयपुर।
4. सचिव, नगर विकास न्यास, अलवर को उनके पत्र क्रमांकः– संस्थापन/17683/22 दिनांक 16.02.2022 के क्रम में।
5. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को प्रेषित कर लेख है कि इस आदेश को नगरीय विकास विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
6. श्रीमती सुषमा रस्तोगी, अतिरिक्त मुख्य अभियंता, नगर विकास न्यास, अलवर।
7. निजी पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव–तृतीय

rsonwal@order